फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री नरेन्द्र **विपक्षी : श्री देवीलाल**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 14/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनार्थ जारी की गई

दिनांक : 10.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 5 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त कीं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में ग्राम पंचायत मेडता द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1602 दिनांक 05.10.2012 के विरूद्व अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम का दिनांक 10.11.22 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया हैं। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत मेडता द्वारा दिनांक 05.10.2012 को पारित किया गया हैं। अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2012 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित गलत नामान्तरकरण को निरस्त करा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2012 के आधार पर सही नामान्तरकरण पारित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से उक्त नामान्तरकरण ग्राम पचांयत द्वारा पारित किया गया है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2012 के आधार पर पारित किया गया है जबकि उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से तत्कालीन खातेदार/विक्रेता सवागी पुत्री रूपा पत्नी चुन्नीलाल व सरसी बेवा रूपा भील द्वारा क्रेता देवीलाल एवं गंगाराम के पक्ष में अपना सामूहिक 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया है। नामान्तरकरण पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा क्रेता सं. 1 के पक्ष में नामान्तरकरण पारित कर दिया एवं क्रेता सं. 2 के नाम नामान्तरकरण पारित नहीं किया हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 द्वारा भी अपीलान्ट् की अपील स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। वर्तमान में क्रेता सं. 2 गंगाराम का देहान्त होना जाहिर आया है एवं क्रेता सं. 2 गंगाराम के वारिस अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 होना जाहिर होता हैं। चूंकि प्रकरण में ग्राम पंचायत मेडता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1602 पारित किया है वह त्रुटि पूर्ण हैं जिससे अपीलान्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण को पारित करने में विधिक भूल की हैं, जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में स्वीकार की जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत मेडता द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 1602 दिनांक 05.10.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विक्रय पत्र दिनांक 27.09.2012 के आधार पर एवं क्रेता सं. 2 स्वर्गीय गंगाराम पिता केला भील निवासी मेडता तह. मावली के विधिक वारिसों की जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान आदि के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.18 10:55:15 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर,
(SDO) मावली